

समाचार वाणी

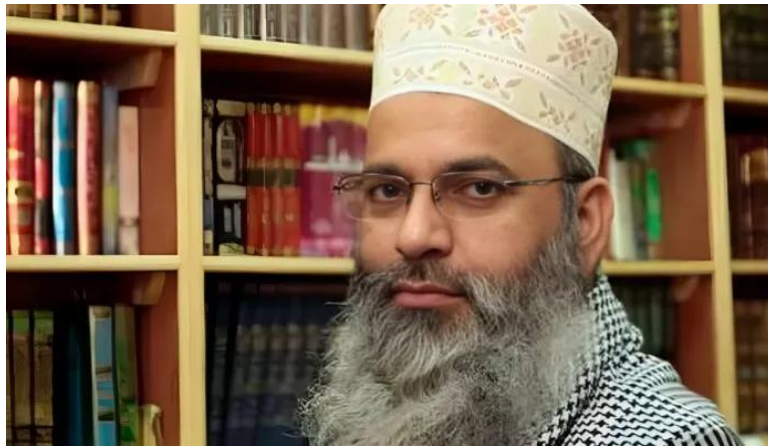
खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 30 September 2026

यूपी में बंड़ा सनसनीखेज मामला : पूर्व मदरसा प्रबंधक शम्सुल हुदा खान के खिलाफ संदिग्ध इस्लामीकरण और विदेशी फंडिंग पर FIR दर्ज

Publisher

Published on 03 Nov 2025



उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से विवादास्पद मामला सामने आया है। राज्य की पुलिस ने पूर्व मदरसा प्रबंधक शम्सुल हुदा खान के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि खान ने मदरसा के नाम पर संदिग्ध इस्लामीकरण गतिविधियों को बढ़ावा दिया और विदेशी फंडिंग के जरिए वित्तीय गड़बड़ी की। यह मामला राज्य में शिक्षा, धार्मिक गतिविधियों और सुरक्षा के मुद्दों पर नई बहस पैदा कर सकता है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, खान पर मदरसा संचालन के दौरान छात्रों और समाज पर धार्मिक और राजनीतिक रूप से अनुचित प्रभाव डालने के आरोप हैं। जांच में यह भी सामने आया कि मदरसा को विदेशी स्रोतों से फंडिंग मिली, जिसका इस्तेमाल कथित रूप से शिक्षण और धर्म प्रचार के अलावा अन्य संदिग्ध गतिविधियों में किया गया।

संदिग्ध इस्लामीकरण गतिविधियों के आरोप

अधिकारियों ने बताया कि खान ने मदरसा के छात्रों और स्थानीय समुदाय पर धार्मिक दृष्टि से कट्टरपंथी विचारधारा थोपने का प्रयास किया। कुछ ऐसे शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए, जिनसे छात्रों और समुदाय में धार्मिक विचारों को बदलने की कोशिश की गई।

पुलिस ने कहा कि ये गतिविधियां न केवल स्थानीय कानून के खिलाफ थीं, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरे की तरह देखी जा रही हैं। इसके चलते FIR दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच उच्च स्तर पर शुरू कर दी गई है।

विदेशी फंडिंग की जांच

शम्सुल हुदा खान के मदरसा को कथित रूप से विदेशी संगठनों और दाताओं से वित्तीय सहायता मिली थी। जांच में यह पता लगाया

जा रहा है कि इन फंडों का वास्तविक उपयोग क्या था। अधिकारी कह रहे हैं कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी विदेशी फंडिंग अवैध गतिविधियों या धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए न इस्तेमाल हो।

इस मामले में पुलिस ने खान के बैंक खाते, लेन-देन और मदरसा के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि फंडिंग की पूरी श्रृंखला का पता लगाया जाएगा और यदि कोई अनियमितता सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य और समुदाय की प्रतिक्रिया

इस FIR के बाद राज्य और स्थानीय समुदाय में इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग इस कार्रवाई को स्वागत योग्य मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और केवल आरोपों पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षा संस्थानों में धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखना आवश्यक है। साथ ही, विदेशी फंडिंग का उपयोग पारदर्शी और नियामक कानूनों के अनुसार होना चाहिए।

अगले कदम और जांच प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की कार्रवाई पूरी तरह से सबूतों और जांच पर आधारित होगी। शम्सुल हुदा खान से पूछताछ की जाएगी और उनके मदरसा के अन्य स्टाफ और सहयोगियों को भी जांच में शामिल किया जाएगा।

पुलिस का यह भी कहना है कि इस जांच से पूरे राज्य में मदरसा और अन्य शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम ने उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय करना शुरू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज होने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और पुलिस धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में अनुचित गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने को तैयार हैं। शम्सुल हुदा खान के खिलाफ यह मामला न केवल उनके व्यक्तिगत करियर पर असर डालेगा, बल्कि देश में धार्मिक और शिक्षा संस्थानों की निगरानी पर भी नई बहस पैदा करेगा।

इस प्रकार यह मामला राज्य और देश में शिक्षा, सुरक्षा और धार्मिक गतिविधियों की पारदर्शिता को लेकर गंभीर चर्चा का केंद्र बन गया है। पुलिस की जांच और कार्रवाई आगे की दिशा तय करेगी कि ऐसे संस्थानों में अनुचित गतिविधियों पर किस हद तक नियंत्रण रखा जा सकता है।